राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग,जयपुर

—:: आदेश ::—

परिवाद संख्या— 14/28/4407 **दिनांक—22.10.2021**

एकलपीठ

समक्षः— माननीय अध्यक्ष जस्टिस श्री गोपाल कृष्ण व्यास

यह परिवाद परिवादी श्री उमाशंकर योगी पुत्र श्री रामबिलास योगी निवासी गर्ल्स स्कूल के सामने, आलनपुर, सवाई माधोपुर ने दिनांक 13 नवम्बर, 2014 को प्रेषित कर यह निवेदन किया कि सवाई माधोपुर जिले के सरकारी एवं निजी अस्पतालों में बायो मेडिकल वेस्ट का कचरा खुलेआम सड़कों पर डाल दिया जाता है, जिसके कारण आम नागरिकों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सा विभाग के उच्च अधिकारियों से निवेदन करने पर भी उनके द्वारा जान—बूझकर अनजान बनकर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस कृत्य को नागरिकों के स्वास्थ्य सम्बन्धी मूलभूत अधिकारों के विरुद्व खिलवाड़ मानते हुए सभी अस्पतालों में बायो मेडिकल वेस्ट को सुरक्षित तरीके से नष्ट किये जाने के निर्देश जारी किये जा चुके हैं, जिसकी खुलेआम अवहेलना की जा रही है।

परिवादी ने यह भी निवेदन किया कि सवाई माधोपुर जिले के सरकारी एवं निजी अस्पतालों से निकलने वाले बायो मेडिकल कचरे को

गढडे एवं खुले में ही जला देते हैं या फिर आम रास्ते में ऐसे ही फेंक देते हैं। जिसके चलते आम नागरिकों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जिला मुख्यालय का आम रास्ता कचरा फेंकने का केन्द्र बन चुका है। नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर उनके मानवाधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है इसलिये सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों के विरुद्व कार्यवाही की जावे।

परिवादी ने अपने परिवाद के साथ दिनांक 10.11.2014 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार की प्रति प्रस्तुत की। जिसमें **''बिखरा पड़ा है संक्रमण''** शीर्षक से समाचार प्रकाशित करते हुए यह अंकित किया गया कि जिले में 319 सरकारी तथा 31 निजी अस्पताल हैं। सरकारी अस्पतालों में कहीं भी बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण करने के उचित प्रबन्ध नहीं है। उक्त समाचार के साथ तीन फोटो भी प्रकाशित किये गये, जिन्हें **1. ''सवाई माधोपुर के ठींगला स्थित प्लान्ट में क्षतिग्रस्त पड़ा वाहन'' 2. ''सवाई माधोपुर के ठींगला क्षेत्र में बंद पड़ा बायो मेडिकल वेस्ट प्लांट'' एवं 3. ''सवाई माधोपुर जिला अस्पताल परिसर में डाला गया कचरा''** शीर्षक से दर्शाया गया।

परिवाद में यह निवेदन किया गया कि स्वास्थ्य सम्बन्धी मानव अधिकारों की रक्षा के लिये परिवाद को स्वीकार कर बायो मेडिकल कचरा नष्ट करने के लिये आवश्यक निर्देश चिकित्सा विभाग को दिये जावें।

परिवाद की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर को भेजकर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी।

डॉ. दिलीप मीना, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर ने दिनांक 19.2.2015 को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए यह अवगत कराया कि सवाई माधोपुर जिले के अधिकतर निजी अस्पतालों में बायो मेडिकल वेस्ट के कचरे का निस्तारण निजी बायो मेडिकल संस्थाओं से रजिस्ट्रेशन करवाकर नियमानुसार किया जाता है। आम रास्तों पर किसी प्रकार का कचरा नहीं डाला जाता है। जिले के सरकारी अस्पतालों के द्वारा वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता, राजस्थान स्टेट पॉल्युशन कन्ट्रोल बार्ड, 4, औद्योगिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर को बायो मेडिकल वेस्ट मेनेजमेन्ट एण्ड हेण्डलिंग रुल्स 1998 के तहत डिमाण्ड फार्म संलग्न कर बायो मेडिकल प्लान्ट से एग्रीमेन्ट करने हेतु भिजवाया गया किन्तु अभी तक कचरा निस्तारण प्लान्ट से एग्रीमेन्ट नहीं हो पाया है। अन्य सरकारी चिकित्सालयों द्वारा भी बायो मेडिकल वेस्ट संस्थाओं से रजिस्ट्रेशन करवाने की कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में बायो मेडिकल वेस्ट का कचरा निश्चित स्थान पर खोदे गये गडढ़ों में डाला जाकर निस्तारित किया जाता है।

उन्होनें अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह भी अवगत कराया कि अधिकांश निजी एवं सरकारी चिकित्सालयों ने इस संदर्भ में अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर इस कार्यालय को कचरा निस्तारण के संबंध में

अवगत कराया है। जनहित में भी इस कार्यालय द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण करने हेतु सभी को पाबन्द किया जा चुका है। अस्पतालों द्वारा खुले में, आम रास्तों में, रोड़ के किनारों पर कचरा नहीं डाला जाता है। बायो मेडिकल वेस्ट प्लान्ट संचालन नहीं होने के कारण बायो वेस्ट का निस्तारण नागरिकों के निवास से दूर ले जाकर गडढे में गाडकर एवं जलाकर किया जाता है। राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में यह कहा गया कि डॉ. अमृतलाल जाटव, उप नियंत्रक द्वारा जांच कर जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर को भिजवाई गई है, जिसके अनुसार टेक्नीकल रुप से अस्पताल में उत्पन्न कचरे का निस्तारण Burrial Pits अथवा सीटीपी कान्ट्रेक्ट नहीं होने के कारण कचरे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है तथा संक्रमण फैलने का अंदेशा बना ही रहता है। कचरे का निस्तारण निश्चित स्थान पर खोदे गये गडढों में जलाकर किया जाता है।

उपरोक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट की प्रति परिवादी को भेजकर उसकी प्रतिक्रिया तलब की गयी।

परिवाद के लम्बित रहने के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह अवगत कराया कि जिले के सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर में बायो मेडिकल वेस्ट का कचरा निस्तारण बायो मेडिकल वेस्ट संस्था मैसर्स हॉस्वीन इन्सेरेटर अलवर के माध्यम से नियमित रुप से किया जा रहा

है। सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के बायो मेडिकल वेस्ट के कचरे के निस्तारण हेतु बायो मेडिकल वेस्ट मैसर्स हॉस्वीन इन्सेरेटर अलवर से करवाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। बायो मेडिकल वेस्ट के कचरे को निश्चित स्थान पर खोदे गये गडढ़ों में डाला जाकर निस्तारण किया जाता है। अधिकांश निजी एवं सरकारी चिकित्सालयों के बायो मेडिकल वेस्ट के कचरे का निस्तारण बायो मेडिकल वेस्ट संस्था से अनुबंध कर कचरा निस्तारण कराने हेतु पाबन्द कर दिया गया है। जिला सामान्य चिकित्सालय, सवाई माधोपुर में कचरा निस्तारण हेतु बायो मेडिकल वेस्ट संस्था मैसर्स हॉस्वीन अलवर से दिनांक 9.6.2015 से अनुबंध कर लिया गया है, जिसके द्वारा नियमित रुप से कचरा निस्तारण किया जा रहा है।

परिवादी ने विभिन्न रिपोर्ट्स पर अपनी प्रतिक्रिया आयोग को भेजी, जिसमें यह अवगत कराया कि चिकित्सा विभाग द्वारा जो तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है वह सत्यता से परे है। दिनांक 28.10.2016 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में इस सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार से आम उपभोक्ता, लोकसेवकों के इस कृत्य से ठगा, उपेक्षित एवं व्यथित नजर आया कि लोकसेवक, जिनको आम आदमी के स्वास्थ्य को संभालने का महत्वपूर्ण जिम्मा है उनके द्वारा लापरवाही की जा रही है इसलिये तीन व्यक्तियों की कमेटी बनाकर शीघ्र जांच करवायें जिससे गुमराह करने

वाले अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही व जुर्माना लगाया जा सके और आम आदमी को खतरनाक बीमारियों से बचाया जा सके।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर ने अपने पत्र दिनांक 10.8.2021 के द्वारा यह अवगत कराया कि इस प्रकरण में प्रगति रिपोर्ट चाही गयी है उस परिवाद की प्रति उन्हें प्राप्त नहीं हुई है, जो मुहैया करवाई जावे। तत्पश्चात पत्र दिनांक 11.8.2021 के द्वारा तीन बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपनी प्रगति रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत कीः—

01	यह कि प्रार्थी ने आपके समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया था जो आज भी सड़कों पर फेंका जा रहा है। सवाई माधोपुर जिले के सरकारी एवं निजी अस्पतालों में बायो मेडिकल वेस्ट का कचरा खुलेआम सड़कों पर डाल दिया जाता है। जिसके कारण आम नागरिकों को भारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है एवं चिकित्सा विभाग उच्च अधिकारियों से जानकारी पर उनके द्वारा नागरिकों के मूलभूत अधिकारों जिसमें स्वास्थ्य के विरुद्व भारी खिलवाड़ मानते हुए सभी अस्पतालों का कचरा बायो मेडिकल वेस्ट सुरक्षित तरीकों से नष्ट किये जाने के निर्देश पूर्व में ही जारी किये जा चुके हैं। इसकी भी खुले आम अवहेलना की जा रही है।	वर्ष 2019—20 में कुल 44506.2 किलो वेस्ट Hoswin Incinarator, Alwar कलेक्ट कर नियमानुसार निस्तारित किया गया है।
02	यह कि सवाई माधोपुर जिले सरकारी	वर्ष 2019—20 में कुल

	एवं निजी अस्पतालों से निकलने वाले कचरा को गडडा एवं खुले में ही जला देते हैं या फिर ऐसे ही फेंक देते हैं जिसके चलते आम नागरिकों को बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय की आम रास्ते इन अस्पतालों के कचरा फेंकने का केन्द्र बन चुका है। यहां पर नागरिकों के जीवन के साथ खुले आम खिलवाड़ करने वाले चिकित्सकों के विरुद्व कोई कार्यवाही नहीं की जाती है जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण एवं मानवाधिकारों का उल्लंघन है।	44506.2 किलो वेस्ट Hoswin Incinarator, Alwar कलेक्ट कर नियमानुसार निस्तारित किया गया है। वर्तमान में अस्पतालों से निकलने वाले कचरे का नियमानुसार निस्तारण किया जा रहा है। जिले में संचालित संस्थानों 60 संस्थान में से 57 का ऑथराईस किया जा चुका है एवं 03 संस्थानों ऑथराईस आरएसपीसीबी के स्तर पर बकाया है। कुल 334 चिकित्सकों में से 282 एवं कुल पैरामेडिकल स्टाफ 1267 में से 978 को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सूची संलग्न है।
03	यह कि दिनांक 28.10.2016 को दैनिक भास्कर सवाई माधोपुर के समाचार पत्र में इस संबंध में प्रकाशित समाचार से आम उपभोक्ता, लोकसेवकों के इस कृत्य से ठगा एवं उपेक्षित और व्यथित नजर आये कि यह लोकसेवक जिनको स्वास्थ्य आम आदमी को संभालने का महत्वपूर्ण जिम्मा है उनके द्वारा मिलीभगत एवं जवाबदेहित लापरवाही के चलते आम आदमी के स्वास्थ्य को क्या संरक्षण	वर्तमान में अस्पतालों से निकलने वाले कचरे का नियमानुसार निस्तारण किया जा रहा है। जिले में संचालित संस्थानों 60 संस्थान में से 57 का ऑथराईस किया जा चुका है 03 संस्थानों ऑथराईस आरएसपीसीबी के स्तर पर बकाया है। कुल 334 चिकित्सकों में से 282 एवं

	करेंगे? दैनिक भास्कर की प्रति संलग्न है कृपया उचित जांच कर सख्त कार्यवाही करने की कृपा करें।	कुल पैरामेडिकल स्टाफ 1267 में से 978 को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सूची संलग्न है।

स्वीकृत रुप से यह परिवाद वर्ष 2014 से आयोग के समक्ष लम्बित है। परिवादी ने सजगता से राजस्थान पत्रिका दिनांक 10.11.2014 में प्रकाशित समाचार एवं दैनिक भास्कर दिनांक 28.10.2016 में प्रकाशित समाचार की प्रति संलग्न की है, जिनमें मुख्य रुप से यह दर्शाया गया है कि सवाई माधोपुर जिले के सरकारी एवं निजी अस्पतालों में बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की कोई स्थाई व्यवस्था नहीं है। वर्ष 2014 से नियमित रुप से यह कहा जा रहा है कि बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिये मैसर्स हॉस्वीन इन्सेरेटर अलवर से अनुबंध कर लिया गया है और उक्त संस्था द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण किया जा रहा है। यदि इस तथ्य में सत्यता होती तो दिनांक 28.10.2016 को पुनः दैनिक भास्कर समाचार पत्र में विस्तृत समाचार मय फोटो प्रकाशित नहीं होता। इसलिये यह कहा जा सकता है कि सरकारी चिकित्सालयों एवं निजी चिकित्सालयों के पास बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की उपयुक्त व्यवस्था नहीं होने से बायो मेडिकल वेस्ट को खुले में डाला जाकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो विधि विरुद्व है।

भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जिनके अनुसार नागरिकों के स्वास्थ्य के लिये सभी व्यवस्था करना राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी है। नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसलिये आयोग का यह मत है कि स्वास्थ्य विभाग बायो मेडिकल कचरे को सही ढंग से नष्ट करने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि प्रदेश के समस्त सरकारी एवं निजी अस्पतालों में उपयुक्त सफाई व्यवस्था हो एवं बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की उपयुक्त व्यवस्था करे।

वर्तमान समय में सम्पूर्ण विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। इसके अतिरिक्त देश के अनेक भागों, जिसमें राजस्थान प्रदेश भी शामिल है, में डेगूं, चिकनगुनिया एवं स्क्रब टायफस पनप रहा है। ऐसी अवस्था में आम नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति और अधिक सजग रहने की आवयकता है। ऐसे में यदि बायो मेडिकल वेस्ट को खुले आम सड़कों पर डाला जायेगा या अस्पतालों में उपयुक्त सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जायेगा तो यह निश्चित रुप से नागरिकों के मानव अधिकारों का उल्लंघन होगा। आयोग के विचार में प्रत्येक जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि वह जिले के सरकारी एवं निजी अस्पतालों में नियमित रुप से सफाई व्यवस्था होती है या नहीं इस पर निगरानी रखे। इस परिवाद में प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा समाचारपत्रों में समय समय पर

प्रकाशित समाचारों के माध्यम से तथा अपने स्वयं के ज्ञान से आयोग को यह अवगत कराया गया है कि चिकित्सा विभाग अपनी जिम्मेदारी पूर्णतः नहीं निभा रहा है।

इस मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों में मानव अधिकारों की रक्षार्थ निम्नलिखित निर्देश एवं अनुशंषा विभिन्न विभागों को दिया जाना न्यायोचित हैः—

1. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान, जयपुर प्रदेश के समस्त जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश जारी करे कि वे स्वयं व्यक्तिगत रुप से जिले के सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों का निरीक्षण माह में एक बार अनिवार्य रुप से करे या अपने अधीनस्थ अधिकारी से करावे तथा निरीक्षण रिपोर्ट निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान, जयपुर को हर माह प्रस्तुत करे।

2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान, जयपुर को यह अनुशंषा की जाती है कि नागरिकों के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में अगर कोई कोताही किसी अधिकारी द्वारा बरती जाय तो उसके खिलाफ तुरन्त अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाय।

3. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को निर्देश दिया जाता है कि समस्त जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं

स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश जारी करे कि बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिये वित्तीय स्वीकृति हेतु नियमित रुप से राज्य सरकार को अवगत करावें। प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को निर्देश देते हुए यह भी अनुशंषा की जाती है कि स्वास्थ्य सम्बन्धी मानव अधिकारों की रक्षा के लिये बायो मेडिकल वेस्ट प्लान्ट हर अस्पताल में स्थापित करना अनिवार्य घोषित करे एवं जो निजी अस्पताल बायो मेडिकल वेस्ट प्लान्ट स्थापित नहीं करे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करें।

4. प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने अपने जिले में स्थित निजी अस्पतालों को निर्देश जारी करे कि अगर बायो मेडिकल वेस्ट आम रास्ते में या अस्पताल के किसी भाग में डालना पाया गया तो उनसे जुर्माना वसूल किया जावेगा। जुर्माने की राशि चिकित्सा विभाग नियमानुसार तय करे।

5. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर से यह अपेक्षा की जाती है कि राज्य के समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिकाओं को इस आशय का परिपत्र जारी करे कि समस्त अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के बाहर नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करे।

उपरोक्त सभी निर्देशों की पालना कर पालना रिपोर्ट आयोग के समक्ष दो माह की अवधि में प्रस्तुत की जावे।

S

इस आदेश की एक एक प्रति **मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान, जयपुर एवं परिवादी** को प्रेषित की जावे। निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान, जयपुर इस आदेश की एक एक प्रति समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रेषित करे।

(जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास)
अध्यक्ष

S